

पृष्ठ 2
कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया
 (प्राथमिक शिक्षा)

पत्रांक :- 13 /

सेवा नं.

अध्यक्ष/प्रबोधनापक/प्रबंधक
 नियमित पदिक राजूल, गर्विराज (कार्यालयाधीश)

पत्रांक :- 06/07/17

विषय :-

बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की घासा 10 के प्रयोगान्वय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 वाले उपनियम 8 के अन्वार्य शिक्षालय की प्रस्तीकृति का प्रयोग पर।

भाषण,

आपके आवेदन-पत्र दिनांक 24.06.16 और उसके काम में आपके किये गये प्रयाप्तार एवं शिक्षालय के किये गये नियमावली के आलोक में आपके विद्यालय नियमित पदिक राजूल, गर्विराज, कार्यालयाधीश (विद्यालय का नाम एवं पूरा नाम) पूर्ण प्राथमिक कक्ष से अध्यग्म कक्ष तक संचालन हेतु तीन वर्ष 01/01/2011 से 05/07/2020 अवधि के लिये वीप्रविधि प्रस्तीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदान प्रस्तीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी :-

01. प्रस्तीकृत किसी भी परिस्थिति में कक्ष 8 तक की शीक्षा को बाहर भाग्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनु-01) तथा विद्यार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनु-02) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनियित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्ष 1 में बच्चों के नामांकन की कुल शाखा का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पढ़ोत्स के कमज़ोर वर्ग एवं अलगावादी शाखा के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह है कि विद्यालय में पूर्ण प्रारम्भिक कक्षाओं संचालन हो रहा है, तो इस भावक का अनुपालन पूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा के लिये भी किया जायेगा।
04. कठिका 3 में उद्दृत बच्चों के भाग्य में विद्यालय की बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की घासा 12 की उपचारा 2 के आलोक में नियमित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से एक खाता का संचालन करेगा।
05. सोसाईटी/विद्यालय के हासा किसी प्रकार का कंपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी दब्बा, उसके गाला-पिला या अग्निकांड का रक्कीनिंग ट्रेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उप प्रयोग पत्र के अनुपस्थिता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा घर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसने से किसी एक कारण के आवार पर इकार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के हासा निम्न कार्य सुनियित किये जायेंगे :-

- I. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्ष में सोककर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होते तक विद्यालय से निष्काशित किया जायेगा।
- II. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जायेगा तथा गान्धीक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
- III. किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिये किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- IV. प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रयोग-पत्र प्रदान किया जायेगा।

— 02 —

अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलाग/विश्व आवश्यकता वाले वस्तु का बहुत
किया जायेगा।

विद्यालय का अधिनियम अन्तर्गत ४० वर्षों की जल्दाम ५ में सनके लिए निर्धारित न्यूनतम
योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में
कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं प्राप्त करते हैं, वे ५ वर्षों के अन्दर
निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।

VII. शिक्षक अधिनियम की घारा 24 की उपधारा १ में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन
करेंगे।

VIII. शिक्षक निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

08. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।

09. विद्यालय अधिनियम की घारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से
छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की घारा 19 में उद्दृत भागकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम
निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः :-

विद्यालय-परिसर का हेत्रफल :— ०२.७ एकड़

कुल निर्मित हेत्र :— २.६० एकड़

खेल का मैदान का हेत्र :— ही

वर्ग कक्षों की कुल संख्या :— ३५ (पैतीस)

प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष :— ही

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय :— ही

पेशजल की सुविधा :— ही

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई-घर :— नहीं

बाधारहित पहुँच :— ही

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेलकूद उपकरण/पुस्तकालय :— ही

11. कोई भी अप्रस्त्रीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिये
होंगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्बंधित सोसाईटी के द्वारा
अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित
होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित
नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेशण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों
के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला
कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय में आवंटित प्रस्त्रीकृत कोड संख्या FP-३५५ है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का
पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अकित एवं उद्दृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (प्राथमिक शिक्षा) के द्वारा समय-समय पर मांग किए
गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से
प्रस्त्रीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित
कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया
जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निर्बंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. विद्यालयों के लिये अधिनियम की घारा 19 के अन्तर्गत जो मान और मानक निर्धारित है, उन्हें ०३ (तीन)
वर्षों के अन्दर पूर्ण कर लेनी पड़ेगी अन्यथा आपकी प्रस्त्रीकृति रद कर दी जायेगी। विद्यालय के लिये मान
और मानक निम्नवत है :-

मात्र	गान और मानक	
शिक्षकों की संख्या के पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा के लिए	प्रवेश किये गये बालक 60 तक 61-90 के मध्य 91-120 के मध्य 121-200 के मध्य 150 बालकों के उपर 200 बालकों के उपर	शिक्षकों की संख्या दो तीन चार पाँच पाँच घन एक प्रधान अध्यापक छात्र-शिक्षक अनुपात (प्रधान अध्यापक को छोड़कर) 40 से अधिक नहीं होगा
वा. छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिये	1. कम-से-कम प्रति कक्षा एक शिक्षक, इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम-से-कम एक शिक्षक हो : - I. विज्ञान और गणित II. सामाजिक अध्ययन III. भाषा 2. प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम-से-कम एक शिक्षक। 3. जहाँ 100 से ऊपर बालकों को प्रवेश दिया गया है वहाँ - I. एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक II. अंशकालिक शिक्षण के लिए - A. कला शिक्षा आ. स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षक ई. कार्य शिक्षा	1. कम-से-कम प्रति कक्षा एक शिक्षक, इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम-से-कम एक शिक्षक हो : - I. विज्ञान और गणित II. सामाजिक अध्ययन III. भाषा 2. प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम-से-कम एक शिक्षक। 3. जहाँ 100 से ऊपर बालकों को प्रवेश दिया गया है वहाँ - I. एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक II. अंशकालिक शिक्षण के लिए - A. कला शिक्षा आ. स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षक ई. कार्य शिक्षा
2 गवन	सभी मौसम वाला भवन, जिसमें निम्नलिखित होंगे - (i) प्रत्येक शिक्षक के लिए कम-से-कम एक कक्षा और एक कार्यालय सह-भंडार-सह प्रधान अध्यापक कक्ष; (ii) बाधा मुका पहुँच; (iii) लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय; (iv) सभी बालकों के लिए सुरक्षित और प्यासि पेग जल; (v) रसोई, जहाँ दोपहर का नोजन विद्यालय में पकाया जाए; (vi) सीमा दीवाल या बाड़े द्वारा विद्यालय भवन कर सुरक्षा करने के लिए व्यवस्थाएँ; (vii) खेल का मैदान;	सभी मौसम वाला भवन, जिसमें निम्नलिखित होंगे - (i) प्रत्येक शिक्षक के लिए कम-से-कम एक कक्षा और एक कार्यालय सह-भंडार-सह प्रधान अध्यापक कक्ष; (ii) बाधा मुका पहुँच; (iii) लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय; (iv) सभी बालकों के लिए सुरक्षित और प्यासि पेग जल; (v) रसोई, जहाँ दोपहर का नोजन विद्यालय में पकाया जाए; (vi) सीमा दीवाल या बाड़े द्वारा विद्यालय भवन कर सुरक्षा करने के लिए व्यवस्थाएँ; (vii) खेल का मैदान;
एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों/शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या	(i) पहली से पांचवीं कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस; (ii) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए 220 कार्य दिवस ; (iii) पहली से पांचवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घंटे; (iv) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 शिक्षण घंटे	(i) पहली से पांचवीं कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस; (ii) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए 220 कार्य दिवस ; (iii) पहली से पांचवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घंटे; (iv) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 शिक्षण घंटे
शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटे की न्यूनतम संख्या	45 (शिक्षण तैयारी के घंटे सम्मिलित करते हुए)	45 (शिक्षण तैयारी के घंटे सम्मिलित करते हुए)
अध्यापन शिक्षण उपरकर	प्रत्येक कक्षा के लिए यथा अपेक्षित उपलब्ध कराए जाएंगे।	प्रत्येक कक्षा के लिए यथा अपेक्षित उपलब्ध कराए जाएंगे।
पुस्तकालय	प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा जिसमें सामाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिसके अन्तर्गत कहानी की पुस्तकें भी हैं, उपलब्ध होंगी।	प्रत्येक कक्षा के यथा अपेक्षित उपलब्ध कराए जाएंगे।
खेल सामग्री, खेल और बीड़ा उपरकर	प्रत्येक कक्षा के यथा अपेक्षित उपलब्ध कराए जाएंगे।	प्रत्येक कक्षा के यथा अपेक्षित उपलब्ध कराए जाएंगे।

विश्वासमाजन
जिला कार्यक्रम प्रौद्योगिकारा (प्रांशु),
असमिया।
०७/०२/१७



e-SAMBANDHAN

विहार मंडी

शिक्षा विभाग
Education Department
Right to Education Online School Affiliation

YOUR APPLICATION NO : -209111320211128155833

Welcome : 7004927944 [Log Out]

(क) आपके पंजीकरण का विवरण

MITHILA PUBLIC

विद्यालय का नाम

शिक्षा का वर्ष 2020-2021

SCHOOL

जिले का नाम

ARARIA

ब्लॉक का नाम Forbesganj

मोबाइल नंबर

7004927944

ईमेल आईडी

principalmps@gmail.com

पत्राचार का पता

MITHILA PUBLIC SC

गाँव/ नगर

BHADRESHWAR

पिन कोड

854316

नजदीकी पुस्तिस

FORBESGANJ

स्थेशन

द्वरभाष संख्या एस० टी० ढी०

9470208444

फैक्स नंबर

कोड के साथ

Alternate Mobile No

9572439697

1. (ख) सामान्य सूचनाएँ , तथा (ग) विद्यालय की प्रकृति एवं क्षेत्र :-

Details Uploaded

2. (घ) नामांकन स्थिति :-

Details Uploaded

3. (च) आधार भुत संरचना का ब्लौरा एवं सछता की स्थिति :-

Details Uploaded

4. (उ) अन्य सुविधाएँ , तथा (झ) पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा :-

Details Uploaded

Attested
Principal
Mithila Public School
R. B. Nagar, Bhadreshwar

5. (ज) शिक्षको का व्यौरा :- **Details Uploaded**
6. कागजात अपलोड करे :- **Details Uploaded**
7. Finalise :- **Finalised**

Copyright © 2020-2021 All Rights Reserved Education Department Bihar

attested
Y.S.
Principal
Mihila Public School
R. B. Nagar, Bhadreshwar



शिक्षा विभाग
Education Department
Right to Education Online School Affiliation

YOUR APPLICATION NO : -209111320211128165633

Welcome : 7004927944 [Log Out]

Download and Print Application Form

Resolve By Block (BEO) and send to District(DEO)

VERIFIED AND RECOMMENDED

attested
[Signature]
Principal
Mithila Public School
R. B. Nagar, Bhadrashwar

Copyright © 2020-2021 All Rights Reserved Education Department Bihar